सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 290 राँची, सोमवार, 1 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2023

परिशिष्ट-1

संख्या-स.क./अराज.स्था.-01/2006- 1969--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) नियमावली में निम्नांकित संशोधन करते हुए संशोधन नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

(i) यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली- 2023 " कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत होगा।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-2231, दिनांक-29.11.2021 द्वारा निर्गत झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 के नियम-5 में अंकित प्रावधान को निम्न रूपेन प्रतिस्थापित किया जाता है-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत् होंगे - **<u>महिला पर्यवेक्षिका के लिए</u>** परीक्षा दो पत्रों की ली जायेगी। प्रत्येक पत्र में 100 प्रश्न एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा (एक पाली) होगी। दोनो पत्रों मेंसभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एंव बहु-विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। (क) प्रश्न पत्र 1 - विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान इस विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नही करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान) प्रश्न पत्र-2 का मूल्यांकन नही किया जायेगा। प्रश्न पत्र 1 में प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ की जायेगी। इस विषय में पाठ्यक्रम एवं प्रश्न की संख्या निम्नवत् होंगे- (i) हिन्दी अनुच्छेद(Comprehension) पर आधारित प्रश्न -25 प्रश्न (ii) हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न -25 प्रश्न (iii) अंग्रेजी अनुच्छेद(Comprehension) पर आधारित प्रश्न -25 प्रश्न (iv) अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न-25 प्रश्न (ख) प्रश्न पत्र 2 - विषय सामान्य ज्ञान प्रश्न-2- सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी- (i) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं राज्य - 50 प्रश्न (ii) सामान्य विज्ञान - 30 प्रश्न (iii) मानसिक क्षमता जाँच - 20 प्रश्न	1. संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली के संदर्भ में अद्यतन समय प्रवृत्त संचालन नियमावली के आलोक मेंकी जायेगी। 2. महिला पर्यवेक्षिका के पद पर परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के सहयोग से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-847, दिनांक-29.03.2023 द्वारा निर्गत "झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 के शेष सभी प्रावधान यथावत समझे जायेंगे।

4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक- 11.07.2023 की बैठक के मद सं0- 33 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 290 - 50